पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 1559/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 (SH) दिनांकः 21 .09.2022

कार्यालय ज्ञाप

"महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013" की धारा–4(1) के अन्तर्गत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (JT 1997(7) SC 384) में दिये गये निर्णय एवं मार्गदर्शन के अनुपालन में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 585/HR&Admn./ PTCUL/P-8 Date: 12.06.2009, यथा संशोधित 652/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांक 03.04.20218 एवं 1521/मा0सं0एवंप्र0 अनु0/पिटकुल/जी–4 (SH) दिनांक 23.08.2021 के अनुक्रम में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु एतद्द्वारा "आन्तरिक शिकायत समिति" का पुर्नःगठन निम्नवत किया जाता हैः–

1.	श्रीमती अमिता लोहानी, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड –	अध्यक्ष/वाह्य सदस्य
2.	श्रीमती शालू जैन, उपमुख्य लेखाधिकारी –	सदस्य
3.	श्री विवेकानन्द, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी –	सदस्य
4.	श्रीमती मीनाक्षी भारती, अधिशासी अभियन्ता –	सदस्य
5.	श्री सिद्धार्थ अरोड़ा, सहायक अभियन्ता (जानपद) –	सदस्य

अधिनियम की धारा–4(3) के अन्तर्गत उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गमन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक होगा।

उपरोक्त "आन्तरिक शिकायत समिति" पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को "महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013" के प्राविधानों के तहत स्वीकार कर उनका क्रियान्वयन एवं निस्तारण करेगी। समिति का यह भी दायित्व होगा कि प्राप्त शिकायत पर जाँच पूर्ण करने के उपरान्त अपनी आख्या तैयार कर मानव संसाधन विभाग, पिटकुल को उपलब्ध करायेगी, जिसकी प्रति सम्बन्धित पक्ष को भी उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही समिति अपने कार्य की वार्षिक आख्या तैयार कर समुचित स्तर पर प्रेषित करेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1559/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4(SH) तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/निजी सहायक/डॉ0ए0आ0–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल देहरादून को निदेशकगणों के सज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल (ई–मेल के माध्यम से)।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०) को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की प्रति को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समिति के सदस्यों को नाम से.....................।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल (ई–मेल के माध्यम से)।

(आशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 1865/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 (SH) दिनांकः 15.11.2022

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल की निदेशक मण्डल की दिनांक 13.10.2022 को सम्पन्न 81वीं बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा आइटम संख्या 81.24 में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में "महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013" की धारा–4(1) के अन्तर्गत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (JT 1997(7) SC 384) में दिये गये निर्णय एवं मार्गदर्शन के अनुपालन में पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु गठित "आन्तरिक शिकायत समिति" की कार्यवाहियों के आयोजन हेतु कमेटी में वाह्य स्तर से नामित अध्यक्ष/सदस्य को प्रतिदिन देय मानदेय/भत्ते की दरों को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

1. वाह्य स्तर से नामित अध्यक्ष – रू0 2500/– (रू0 दो हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन
2. वाह्य स्तर से नामित सदस्य – रू0 2000/– (रू0 दो हजार मात्र) प्रतिदिन

इसके साथ ही बैठक हेतु उन्हें पूर्व की भांति रेलगाड़ी से थ्री टियर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस तथा ऑटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उनके द्वारा खर्च की गयी वास्तविक धनराशि, जो भी कम हो प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 1865/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4(SH) तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/निजी सहायक/डा0ए0आ0–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल देहरादून को निदेशकगणों के सज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष, आन्तरिक शिकायत समिति, पिटकुल, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
5. समिति के सदस्यों को नाम से......................।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की प्रति को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल............................।
8. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(आशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)